

सेवा में,

श्रीमान प्रधान न्यायाधीश महोदय,
परिवार न्यायालय, हरदोई।

महोदय,

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, हरदोई महोदय के द्वारा अपने नेत्रों के परीक्षण के उपरान्त डाक्टर के परामर्श पर अपने नेत्रों हेतु क्रय किये गये चश्मे फ्रेम सहित पर रू० 27,759/-का व्यय किया गया है। उक्त धनराशि के नियमानुसार प्रतिपूर्ति हेतु मुझसे आख्या आहूत की गयी। मैंने महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। जिसमें माननीय महोदय के द्वारा अपना आवेदन सर्टिफिकेट-ए पर प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के साथ माननीय महोदय के द्वारा समस्त सुसंगत बिल एवं पर्चे दाखिल किये हैं जो मेडिकल आफिसर के द्वारा हस्ताक्षरित है। महोदय के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ एक अन्टरटेकिंग भी प्रस्तुत की गयी है जिसमें माननीय महोदय के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि विगत तीन वर्षों में उनके द्वारा चश्मे में हुई व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दिनांक 06.03.2021 के पश्चात कोई आवेदन नहीं किया गया है एवं दिनांक 06.03.2021 के पश्चात महोदय का यह प्रथम आवेदन है। साथ ही साथ अन्डरटेकिंग में इस तथ्य का भी उल्लेख किया गया है कि माननीय महोदय के द्वारा दिनांक 06.03.2021 के पश्चात चश्मे में हुई व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कोई धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त नहीं की गयी है। माननीय महोदय के द्वारा मेरे समक्ष दिनांक 16.10.2023 को प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें चिकित्सा अधीक्षक की तकनीकी परीक्षण आख्या आने के पश्चात माननीय महोदय का प्रार्थना पत्र 06.03.2024 के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

आख्या माननीय महोदय के समक्ष सादर प्रेषित है।

प्रार्थी



(अमित कुमार रस्तोगी)

लेखा लिपिक/वाद लिपिक,

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, हरदोई